

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:- स. 3-6(6)स्था/मंत्रा/अभि/18/ 2041-49

दिनांक :- 15/11/19

-: आदेश :-


अभियोजन निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 12039-100 दिनांक 18.9.2018 द्वारा श्री घनश्याम शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर (गैर अनुसूचित क्षेत्र) कार्यभार संभालने की तिथि से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयन वर्ष 2018-19 में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल -11 में पदोन्नति कर, आदेश क्रमांक 01-15 दिनांक 02.01.2019 के द्वारा इनका पदस्थापन कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन- पाली में किया गया था।

श्री घनश्याम शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पदोन्नति परित्याग करने का अनुरोध करने के फलस्वरूप इनको पदोन्नति का परित्याग (फोरगो) करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इनका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन - बाडमेर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर यथावत रखा जाता है।


(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
4. उप निदेशक अभियोजन जयपुर जोधपुर।
5. सहायक निदेशक अभियोजन- बाडमेर/पाली।
6. सस्थापन/प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
7. श्री घनश्याम शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन बाडमेर।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर